[2019] 14 एस. सी. आर 285

क.

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य (2019 की आपराधिक अपील संख्या 1523-1524) 03 अक्टूबर, 2019

[आर**.** एफ**.** नरीमन**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और सूर्या कान्ट**,** जे**.** जे**.]**

सजा/सजाःनाबालिग का बलात्कार/हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-मृत्युदंड का अधिरोपण-आयोजित:कानून का कोई पूर्ण सिद्धांत नहीं है कि ऐसे मामले में कोई मौत की सजा नहीं दी जा सकती है जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो-ऐसा मानक अनुभवी अपराधियों द्वारा दुर्व्यवहार के लिए परिपक्व होगा जो हमेशा प्रत्यक्ष साक्ष्य को नष्ट करना सुनिश्चित करते हैं-इसके अलावा, बच्चों के बलात्कार और हत्या के कई मामलों में, पीड़ित अपनी कम उम्र के कारण कोई प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं-ऐसे मामलों में, यह अत्यधिक संभावना है कि कोई नेत्र साक्ष्य नहीं होगा-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे प्रत्येक मामले में अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, इसके बावजूद अदालत को केवल इस कारण से मृत्युदंड नहीं देना चाहिए कि अपराधी को एक चश्मदीद गवाह द्वारा अपराध करते हुए नहीं देखा गया है-ऐसा तर्क, यदि समान रूप से और यांत्रिक रूप से लागू किया जाता है, तो

ग

डी.

ई.

सजा/सजाःमृत्युदंड-अवशिष्ट संदेह-यह न्यायालय हाल के कई मामलों में 'अवशिष्ट संदेह' का तेजी से संज्ञान लेता जा रहा है, जो मृत्युदंड की अपरिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए, नियमित मृत्युदंड की सजा के खिलाफ सुरक्षा के रूप में, दोषसिद्धि के चरण में उपयोग किए जाने वाले 'उचित संदेह से परे' मानक के अलावा सबूत का एक उच्च मानक प्रभावी रूप से बनाता है।

च

दंड संहिता, 1860:एसएस।363, 366, 376(2)(एम), 376 (2) (एन), 376-ए, 302 और 201-नाबालिग लड़की का बलात्कार और हत्या-निचली अदालत ने अपीलार्थी को 13 साल की लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने और गला घोंटकर उसकी हत्या करने और उसके बाद उसके आधे नग्न शरीर को सूखे कुएं में फेंककर सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया-निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई-अपील पर कहा गयाः

जी.

एच.

क.

यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है जो नेत्र और चिकित्सा-वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित है-स्थापित एसटीआर तकनीक का उपयोग करते हुए डीएनए साक्ष्य ने साबित किया कि अपीलार्थी ने मृतक के साथ यौन संबंध बनाए-उसके शरीर पर संघर्ष के संकेतों के साथ विभिन्न चोटों ने साबित किया कि ऐसा अपराध बर्बर तरीके से किया गया था-अपीलार्थी के माध्यम से एक चप्पल बरामद की गई थी जिसकी पहचान बाद में मृतक से संबंधित के रूप में की गई थी, जो परिस्थितिगत श्रृंखला को अंतिम रूप देती है-अपहरण, बलात्कार, परिणामी मृत्यु और सबूतों के विनाश के निष्कर्ष उचित संदेह से परे साबित हुए, जैसा कि नीचे दिए

गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों से पता चलता है-सजा के संबंध में, कुछ अवशिष्ट संदेह थे-अंतिम देखे गए सिद्धांत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गवाह, क्रॉस-एक्स में आंशिक रूप से असंगत था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

दंड संहिता, 1860:धारा 376 ए-उच्च न्यायालय के तहत दोषसिद्धि ने मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि लड़की को जबरन यौन संभोग के कारण खून बहता हुआ पाया गया था-जो तथ्य, हालांकि, चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है-आयोजित किया गयाःइस तरह की गलत खोज ए

एच.

287

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.

एस के तहत दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।376 धारा के केवल अवलोकन से पता चलता है कि बलात्कार के अपराध के दौरान केवल पीड़ित की मृत्यु का तथ्य आवश्यक है, और ऐसी मृत्यु किसी भी दोषी इरादे से या केवल बलात्कार के कार्य का एक स्वाभाविक परिणाम होने की आवश्यकता नहीं है-यह व्यापक रूप से पर्याप्त रूप से अभियुक्त द्वारा किए गए किसी भी कार्य द्वारा मृत्यु को शामिल करने के लिए पर्याप्त है यदि बलात्कार के अपराध के साथ समकालीन रूप से किया जाता है-कोई भी अन्य व्याख्या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर देगी।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** अभियोजन पक्ष ने प्रभावी रूप से साबित किया कि मृतक को अपीलार्थी के साथ **'**आखिरी बार देखा गया था**'** और पहले के अवसरों पर भी अपीलार्थी द्वारा लुभाया जाता था।स्थापित एसटीआर तकनीक का उपयोग करते हुए डीएनए साक्ष्य ने साबित किया कि अपीलार्थी ने मृतक के साथ यौन संबंध बनाए।मृत व्यक्ति को स्कूल रिकॉर्ड का उपयोग करके नाबालिग साबित किया गया था।संघर्ष के संकेतों के साथ उसके शरीर पर विभिन्न चोटों ने साबित कर दिया कि इस तरह का अपराध बर्बर तरीके से किया गया था।अपीलार्थी के माध्यम से एक चप्पल बरामद की गई थी जिसकी पहचान बाद में मृतक से संबंधित के रूप में की गई थी**,** जो परिस्थितिजन्य श्रृंखला को अंतिम रूप देती है।किसी भी चिकित्सा या डीएनए रिपोर्ट के खिलाफ कोई प्रभावी चुनौती नहीं दी गई थी।इस प्रकार अपीलार्थी के अपराध और उसके परिणामी दोषसिद्धि के खिलाफ कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है।**[**पैरा **37] [301-**डी**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

पंतंगी बलराम वेंकट गणेश बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश (2009) 14 एस. सी. सी. 607:[2009] 11 एससीआर 636;

धरम देव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2014) 5**

एससीसी **509:[2014] 8** एस**.** सी**.** आर**. 650-**पर निर्भर था।

च

2. निचली अदालत ने 'गंभीर' परिस्थितियों के खिलाफ 'कम करने वाली' परिस्थितियों पर एक बैलेंस**-**शीट तैयार करने के बाद मौत की सजा सुनाई।उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन संभोग के कारण खून बह रहा था और अपीलार्थी द्वारा अपने अपराधों से इनकार करने के कारण सुधार की कोई संभावना नहीं थी।तदनुसार**,** इसने अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड देना उचित था।उच्च न्यायालय ने मृत्यु की पुष्टि करते हुए कहा कि लड़की को जबरन यौन संभोग के कारण खून बहता हुआ पाया गया था**-**जो तथ्य**,** हालांकि**,** चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।हालांकि**,** इस तरह के गलत निष्कर्ष का धारा **376** ए के तहत दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

जी.

एच.

आई**.** पी**.** सी**.** की धारा के केवल अवलोकन से पता चलता है कि बलात्कार के अपराध के दौरान केवल पीड़ित की मृत्यु का तथ्य आवश्यक है**,** और ऐसी मृत्यु किसी भी दोषी इरादे से या केवल बलात्कार के कार्य का स्वाभाविक परिणाम नहीं होनी चाहिए।यदि बलात्कार के अपराध के साथ समकालीन रूप से किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा किए गए किसी भी कार्य से मौत को शामिल करने के लिए इसे व्यापक रूप से पर्याप्त शब्द दिया गया है।**[**पैरा **39,60] [302-**सी**-**डी**; 309-**सी**-**ई**]**

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1980) 2** एससीसी **684 -**

पीछा किया।

रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ बनाम गुजरात राज्य

ग

(2011) 2 एससीसी 764:[2011] 1 एससीआर 829; अशोक

देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य **(2014) 4** एस**.** सी**.** सी**. 747:[2014]**

4 एससीआर **287;** कृष्णन बनाम राज्य **(2003) 7** एससीसी **56:[2003] 1** पूरक।एससीआर **771-**पर निर्भर।

3. तत्काल मामले में**,** कुछ अवशिष्ट संदेह हैं।अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गवाह**,** पी**.** डब्ल्यू**. 5** प्रतिपरीक्षा में आंशिक रूप से असंगत है और जल्दी से एक कथन से दूसरे कथन में कूद जाता है।दो अन्य गवाहों**,** पी**.** डब्ल्यू**. 6** और पी**.** डब्ल्यू**. 7** ने अपीलार्थी को घटना से एक साल पहले मृतक को बिस्कुट खिलाते हुए देखा था और इसकी सूचना देने में उनकी लंबी देरी विश्वास पैदा करने में विफल रही।मृतक की माँ ने बयान दिया कि अपीलार्थी की पत्नी और बेटी उसके घर आई और उनसे उधार लिए गए पैसे वापस करने की मांग की**,** लेकिन यह उल्लेख करने में विफल रही कि उसे शुरू में अपराध करने के लिए अपीलार्थी पर संदेह था।गर्दन पर गला घोंटने के निशान **P.W.20** और **P.W.12** द्वारा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में नोट किए गए थे**,** लेकिन पुलिस द्वारा तैयार किए गए पंचनामे में कोई उल्लेख नहीं मिला।रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए विसरा के नमूने खराब हो गए थे और इसलिए उनका परीक्षण नहीं किया गया था।हालाँकि अभियुक्तों के नाखूनों के खरोंच एकत्र किए गए थे**,** लेकिन यह दिखाने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है कि मृतक का डीएनए मौजूद था।एक अन्य प्रारंभिक संदिग्ध**,** 'बी' जांच के दौरान फरार हो गया**,** इसलिए**,** एक से अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता की संभावना को जन्म दिया।बेशक इन सभी कारकों का साक्ष्य की श्रृंखला के निर्माण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बरी होने के लिए उचित संदेह पैदा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।ए को कम करने के लिए इस तरह के 'अवशिष्ट संदेह' का उपयोग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

289

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.

कारक प्रभावी रूप से मौत की सजा देने के लिए सबूत के मानक को बढ़ाएगा**,** जिसका लाभ केवल निर्दोष लोगों को ही नहीं मिलेगा।हालाँकि**,** एक दोषी के बरी होने बनाम एक कथित निर्दोष के जीवन की हानि के कारण समाज की लागत के बीच लागत**-**लाभ की तुलना करना एक गलत धारणा होगी।ऐसा इसलिए है क्योंकि मौत के विकल्प का मतलब यह नहीं है कि दोषी को रिहा कर दिया जाए।इस प्रकार यह मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों से कम है जहां केवल मृत्युदंड ही अपीलार्थी को दिए जाने के योग्य है।सभी संचयी परिस्थितियों के आलोक में कि विशेष सजा सिद्धांत की अवधारणा को लागू करके न्याय का कारण प्रभावी ढंग से पूरा किया जाएगा।नीचे दी गई अदालतों द्वारा दी गई मौत की सजा को दरकिनार कर दिया गया है और इसके स्थान पर आजीवन कारावास की सजा दी गई है।**[**पारस **61,62,64,65] [310-**ई**-**एच**; 311-**ए**-**बी**,** डी**-**एफ**]**

ग

स्वामी श्रद्धानंद @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम.

कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767:[2008] 11

डी.

एस**.** सी**.** आर**. 93;** भारत संघ बनाम श्रीहरण उर्फ मुरुगन

और अन्य (2016) 7 एससीसी 1:[2015] 14 एस. सी. आर. 613-निर्भर।

भूपिंदर शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य **(2003)**

8 एससीसी 551:[2003] 4 पूरक।एससीआर 792; माची सिंह

ई.

और अन्य बनाम पंजाब राज्य **(1983) 3** एससीसी **470:[1983] 3** एससीआर **413;** मुकेश और एक अन्य बनाम राज्य **(**दिल्ली का एन**.** सी**.** टी**.)**

और अन्य (2017) 6 एससीसी 1:[2017] 6 एस. सी. आर. 1; वसंत

संपत डुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2017) 6** एस**.** सी**.** सी**. 631:[2017] 3** एससीआर **850;** खुशविंदर सिंह बनाम राज्य

पंजाब (2019) 4 एस. सी. सी. 415 [2019] 3 एस. सी. आर. 446;

च

मनोहरन बनाम पुलिस निरीक्षक **(2019)** एससीसी ऑनलाइन एससी **951;** समीक्षा याचिका **(**सी**.** आर**.** एल**.)** में राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य सं**. 306-307**

2013 – संदर्भित किया गया।

राज्य बनाम मैककिनी 74 S.W.3d 291 (टेन. 2002); हेरेरा बनाम कोलिन्स, 506 यू. एस. 390 (1993)-संदर्भित।

जी.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे**.** एस**.** वर्मा की अध्यक्षता में आपराधिक कानून में संशोधन पर समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

एच.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2003] 4 पूरक।पैरा **6 [2009] 11** एस**.** सी**.** आर**. 636** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 792** पर भरोसा किया गया

पैरा **38**

[2014] 8 एससीआर **650**

पर भरोसा किया

पैरा **38**

(1980) 2 एस**.** सी**.** सी**. 684**

पीछा किया।

पैरा **40 [1983] 3** एस**.** सी**.** आर**. 413** पैरा **41 [2008] 11** एस**.** सी**.** आर**. 93** पर निर्भर था

पैरा **46 [2017] 3** एस**.** सी**.** आर**. 850** पैरा **50 [2019] 3** एस**.** सी**.** आर**. 446** पैरा **51 [2011] 1** एस**.** सी**.** आर**. 829** को संदर्भित किया गया

ग

पैरा **56**

[2014] 4 एससीआर **287**

पर भरोसा किया

पैरा **58**

[2003] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 771** पर निर्भर

पैरा **59**

डी.

[2015] 14 एससीआर **613**

पर भरोसा किया

पैरा **64**

[2017] 6 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **64**

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1523-1524।

ई.

2016 की आपराधिक अपील में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के दिनांक 06.12.2016 के निर्णय और आदेश से और 2016 के आपराधिक संदर्भ 2 के खिलाफ।

सुश्री आशा गोपालन नायर, सुश्री निवेदिता नायर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुनील फर्नांडिस, ए. ए. जी., जीशान दीवान, सुश्री नूपुर कुमार, सुश्री प्रियांश इंद्रा शर्मा, अर्जुन गर्ग, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

च

सूर्या कान्ट**,** जे।

1. देरी को माफ कर दिया गया।अनुमति प्रदान की गई।

जी.

2. जीवन और मृत्यु के बीच घूमते हुए, अपीलार्थी जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित 6 दिसंबर, 2016 के फैसले पर हमला करता है, जिसमें तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गदरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर (एम. पी.) द्वारा दिए गए मृत्यु संदर्भ की पुष्टि की गई है और अपीलार्थी की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया गया है।

एच.

291

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

क.

पृष्ठभूमिः

3. अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366,376 (2) (आई), 376 (2) (एन), 376 (2) (जे), 376 (2) (एम), 376-ए, 302 और 201 (संक्षेप में आई. पी. सी.) और वैकल्पिक रूप से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था।19 जुलाई 2016 के फैसले और आदेश के माध्यम से, निचली अदालत ने अपीलार्थी को एक 13 वर्षीय लड़की का अपहरण करने, उसके साथ बलात्कार करने, गला घोंटकर उसकी हत्या करने और उसके बाद उसके आधे नग्न शरीर को सूखे कुएं में फेंककर सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया।इन अपराधों को 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' माना गया था और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 376-ए के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C) की धारा 366 के संदर्भ में, निचली अदालत ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय का संदर्भ दिया।अपीलार्थी ने इस फैसले और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील भी दायर की।उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर 2016 को एक सामान्य आदेश के माध्यम से उनकी अपील को खारिज कर दिया और इस विशेष अनुमति याचिका को जन्म देते हुए निचली अदालत के मृत्यु संदर्भ की पुष्टि की।

ग

डी.

4. शुरुआत में, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जब अपीलार्थी की विशेष अनुमति याचिका 10 जनवरी, 2018 को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

ई.

"श्री अर्जुन गर्ग**,** राज्य के विद्वान वकील**,** मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के मामले पर बहस करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहते हैं**,** क्योंकि हम दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

च

XXX

XXX

XXX "

5. इस प्रकार, हमारे विचार के लिए सीमित मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी को मृत्युदंड की चरम सजा दी जानी चाहिए या नहीं?

जी.

6. जैसा कि इस न्यायालय ने भूपिंदर शर्मा बनाम राज्य के मामले में उल्लेख किया है

हिमाचल प्रदेश 1, कि आई. पी. सी. की धारा 228 ए के तहत यौन अपराधों की पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं करने के आदेश का इस न्यायालय द्वारा भी भावना से पालन किया जाना चाहिएः

1 (2003) 8 एस. सी. सी. 551

एच.

"2. हम पीड़ित का नाम लेने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228-ए (संक्षेप में "आई. पी. सी".) कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को दंडनीय बनाती है।किसी भी मामले का नाम छापना या प्रकाशित करना जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान को ज्ञात कर सकता है जिसके खिलाफ धारा 376,376-ए, 376-बी, 376-सी या 376-डी के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है या पाया गया है, उसे दंडित किया जा सकता है।यह सच है कि प्रतिबंध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के मुद्रण या प्रकाशन से संबंधित नहीं है।लेकिन किसी यौन अपराध की पीड़ित के सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार को रोकने के सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए धारा 228-ए लागू की गई है, यह उचित होगा कि निर्णयों में, चाहे वह उच्च न्यायालय का हो या निचली अदालत का, पीड़ित का नाम इंगित नहीं किया जाना चाहिए।हमने फैसले में उसे 'पीड़ित' के रूप में वर्णित करने का विकल्प चुना है।"

ग

इस प्रकार हम पीड़ित के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय इस पूरे फैसले में उसे "मृतक" के रूप में संदर्भित कर रहे हैं।

डी.

प्रासंगिक तथ्यः

7. आवश्यक तथ्य निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैंःगाँव बागलाई के निवासी पी. डब्ल्यू. 3 (पुरुषोत्तम कौरव-मृतक के दादा) ने अपनी 13 वर्षीय पोती के लापता होने की जानकारी देते हुए 22 मई, 2015 को शाम लगभग 4 बजे गोटीटोरिया के पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई।मृतक और उसका 11 वर्षीय भाई हरिनारायण मुखबिर के छोटे बेटे सत्यप्रकाश के बच्चे थे और

पिछले चार महीनों से पड़ोसी गांव चारगांव में अपनी मां के साथ रह रहे थे।मृतक पिछले दिन सुबह लगभग 10 बजे अपनी माँ के साथ गाँव बागलाई में मुखबिर के घर गया था।मृतक घर के कुछ काम करता था जबकि उसकी माँ परिवार के लिए खाना बनाती थी।बाद में, वह पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त के साथ खेलने गई।वापस लौटने पर उसने अपनी माँ से कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है और अनुरोध किया कि उन्हें चारगाँव में अपने मामा के घर वापस लौट जाना चाहिए।उसकी माँ ने उसे आश्वासन दिया कि वे उस दोपहर बाद में लौटेंगे और वे दोनों सोने चले गए।दोपहर 3 बजे जागने पर माँ को पता चला कि मृतक आसपास नहीं था।माँ ने पड़ोस में असफल पूछताछ की और बाद में मृतक के 11 साल के भाई को यह पूछने के लिए कहा कि क्या वह अकेले ही चारगाँव गई थी।भाई शाम को पीड़ित की कोई खबर दिए बिना वापस आ गया।यह सोचकर कि उनकी बेटी शायद अपनी चाची के घर गई होगी ए

ई.

च

जी.

एच.

293

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

पास के गाँव आड़ेगाँव में माता-पिता दोनों सोते थे।अगली सुबह आड़ेगांव में पूछताछ की गई लेकिन यह बताया गया कि मृतक वहां भी नहीं गया था।चिंतित माँ स्वयं सुबह लगभग 9-10 पर अपने माता-पिता के घर चली गई और अपने भाई विश्राम को सूचित किया कि पीड़ित लापता है।विश्राम और मृतक की माँ ने चारगाँव के पड़ोस में व्यापक खोजबीन की, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला।बागलाई लौटते समय, माँ ने मृतक के सलवार और पानी के चैनल के तटबंध पर एक चप्पल की पहचान की, जो बागलाई और चारगाँव के गाँवों को विभाजित करती थी।बागलाई में अपने वैवाहिक घर पहुंचने पर, माँ ने अपने ससुर को अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी, जिन्होंने फिर पुलिस से संपर्क किया।पी. डब्ल्यू. 3 ने इसके बाद मृतक के लापता होने के तथ्यों को सुनाया और अपनी पोती का विवरण दिया जो उस समय कक्षा 6 में पढ़ रही थी।तदनुसार, पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध का मामला दर्ज किया।

ग

8. इसके बाद पुलिस पी. डब्ल्यू. 3 को उस स्थान पर ले गई जहाँ से सलवार और चप्पल बरामद की गई।कुछ ग्रामीणों और रिश्तेदारों के साथ क्षेत्र की स्थानीय खोज करने पर, मृतक का अर्ध-नग्न शव एक सूखे कुएं में सुस्ती की स्थिति में पड़ा हुआ पाया गया।शव को कुएं से बाहर निकाला गया और उसकी विधिवत पहचान उसके दादा पी. डब्ल्यू. 3 ने की।घटना स्थल का एक मानचित्र तैयार किया गया था, और काले रंग के सलवार का जब्त पंचनामा और मृतक का एक चप्पल भी तैयार किया गया था।

डी.

ई.

9. P.W.20 (हर्षा सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) ने पुलिस को मृतक के शव को संभालने की सलाह दी और बाद में 9 बजे सड़े हुए शव का निरीक्षण किया:45 सरकारी अस्पताल, चिचली में दोपहर।गर्दन पर बंधन के निशान सहित विभिन्न चोटों को देखने के बाद, उसने एक रिपोर्ट दी कि मृतक की मृत्यु हत्या थी।P.W.12 (डॉ. किंशु जैसवाल) ने अगली सुबह 9 बजे शव का पोस्टमॉर्टम किया। शरीर की सड़ी हुई स्थिति की जांच करते हुए, पीडब्लू 12 ने मृत्यु के अनुमानित समय 48-72 घंटे पहले बताया।उन्होंने शरीर पर विभिन्न चोटों को नोट किया जिनमें एक टूटा हुआ हाइमेन, भीड़भाड़ वाला श्वासनली और पीला फेफड़े शामिल हैं।योनि स्लाइड तैयार की गई और निरीक्षण के लिए भेजी गई।हयॉइड हड्डी, फीमर हड्डी और विसरा के तीन जार (पेट के टुकड़े, छोटी आंत, हृदय, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, गुर्दे के साथ-साथ नमक के घोल के अलग-अलग नमूने) को भी जांच के लिए भेजा गया था।महत्वपूर्ण रूप से, यह देखा गया कि खोपड़ी और कशेरुका अक्षुण्ण थे।मृतक की योनि स्लाइड, सलवार और फाइबर चप्पल को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर (एफएसएल) भेजा गया।

च

जी.

एच.

294

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 14 एस सी आर।

सागर) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, जबकि मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों के साथ सीलबंद पात्रों को रासायनिक परीक्षण के लिए मेडिको-लीगल इंस्टीट्यूट, भोपाल भेजा गया था।इसके बाद, मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया और कुछ गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष Cr.P.C की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए।

10. जाँच के दौरान, डीएनए विश्लेषण के लिए विभिन्न संदिग्धों के रक्त के नमूने लिए गए।पहले बैच के हिस्से के रूप में, हरगोविंद कौरव, नंदी उर्फ आनंद वंशकर और बाबा उर्फ अशोक कौरव के रक्त के नमूने लिए गए और 14 जून, 2015 को डी. एन. ए. मिलान के लिए एफ. एस. एल., सागर भेजे गए।बाद में 22 जून, 2015 को अपीलार्थी (बाबा उर्फ रविशंकर विश्वकर्मा), रूपराम उर्फ रूपू कौरव और मनोज उर्फ हल्के यादव के नमूने इसी तरह डीएनए विश्लेषण के लिए भेजे गए थे।एफ. एस. एल. द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि केवल अपीलार्थी से निकाला गया डी. एन. ए. मृतक की योनि स्लाइड से मेल खाता है, अपीलार्थी को 20 जुलाई, 2015 को गिरफ्तार किया गया था।जाँच एजेंसी द्वारा 18 सितंबर, 2015 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे।

ग

डी.

ट्रायल कोर्ट का विश्लेषणः

11. ट्रायल कोर्ट ने विचार के लिए विभिन्न प्रश्न तैयार किए जिनमें मृतक की उम्र का निर्धारण, आरोपी द्वारा अपहरण का तथ्य, बलात्कार, गला घोंटकर मौत का कारण बनना और अपीलार्थी द्वारा शव को फेंककर सबूतों को नष्ट करना शामिल है।12. अपीलार्थी के अपराध को घर लाने के उद्देश्य से, अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों से पूछताछ की, जबकि बचाव में अपीलार्थी द्वारा किसी से भी पूछताछ नहीं की गई।महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही और साक्ष्यों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है।

ई.

च

13. पी. डब्ल्यू. 1 (सुखराम कोटवार), जो बागलाई में ग्राम कोटवार के रूप में तैनात थे, ने मृतक के दादा (पी. डब्ल्यू. 3) के साथ मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की बात स्वीकार की।उसे मृतक के शव का स्थान भी मिला और वह चप्पल, पंचनामा और बाद में रक्त के तीन नमूने एकत्र करने और पुलिस द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी का गवाह था।

जी.

14. पी. डब्ल्यू. 2 (शोभाबाई-मृतक की माँ) ने अपने बयान में कहा कि वह अपीलार्थी को जानती थी, क्योंकि उसने अतीत में उसके परिवार से पैसे उधार लिए थे।उसने गाँव चारगाँव में अपने माता-पिता के घर में रहने का दावा किया, जो उसके ए से पानी के चैनल द्वारा अलग किया गया था।

एच.

पिछले कुछ महीनों से आंख की चोट के इलाज के लिए बागलाई का वैवाहिक गाँव।वह 21 मई, 2015 की सुबह मृतक के साथ अपने ससुराल लौटी थी।जब वह घर पहुंची तो आरोपी की पत्नी और बेटी आई और उससे उधार के पैसे चुकाने को कहा।कुछ समय बाद उसकी बेटी (मृतक) ने उसे बताया कि वह अपनी दोस्त प्रियंका के साथ उसके घर पर खेलने जा रही है।मृतक अपने दोस्त के घर से वापस आया और पी. डब्ल्यू. 2 को बताया कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है और अनुरोध किया कि उसे चारगांव में उसके मामा के घर वापस ले जाया जाए।लगभग 3 बजे, गवाह ने पाया कि उसकी बेटी उनके घर पर नहीं थी।उनके पति ने प्रियंका के घर से पूछताछ की लेकिन पता चला कि मृतक वहां नहीं था।इसके बाद पी. डब्ल्यू. 2 ने अपने बेटे को बुलाया और उसे शाम करीब 5 बजे चारगाँव स्थित अपने पैतृक घर भेज दिया। उसका बेटा घर वापस आया और बताया कि मृतक चारगाँव में भी नहीं मिला।उसने फिर से अपने बेटे को उसकी ठीक से देखभाल करने के लिए चारगाँव भेज दिया।हालाँकि, यह पुष्टि की गई कि मृतक चारगाँव नहीं गया था और वह शाम 6 बजे तक कहीं नहीं मिली थी। यह सोचकर कि मृतक आड़ेगांव, पी. डब्ल्यू. 2 में अपनी माता-पिता की चाची के घर गया होगा और उसके पति रात भर सो गए।अगली सुबह पी. डब्ल्यू. 2 को आड़ेगांव में सत्यप्रकाश की बहन को एक टेलीफोन कॉल आया, लेकिन वहां भी मृतक का पता नहीं चल सका।विभिन्न रिश्तेदारों के घरों में मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई और जब पी. डब्ल्यू. 2 अपने भतीजे धर्मेंद्र के साथ अपने माता-पिता के घर से बागलाई लौट रही थी, तो उसने मृतक के सलवार और चप्पल की पहचान की जो बागलाई को चारगांव से अलग करने वाले जल चैनल के तटबंध पर सड़क के किनारे पड़े थे।पी. डब्ल्यू. 2 ने तब उसके ससुर पी. डब्ल्यू. 3 को सूचित किया और फिर मामले की सूचना पुलिस को दी गई।इसके बाद पुलिस ने उसकी बेटी की तलाश शुरू की और फिर उसे पता चला कि उसकी बेटी का शव दर्शन कौरव के कुएं के अंदर मिला है।पी. डब्ल्यू. 2 को उस समय किसी पर संदेह नहीं था।जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बताया था कि गाँव का अभिषेक उर्फ पिल्लू मृतक को पान मसाला देता था और पुलिस बाबा उर्फ अशोक के घर उससे पूछताछ करने और नार्को परीक्षण करने के लिए भी गई थी, लेकिन वह अगले दिन गाँव से भाग गया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

15. पी. डब्ल्यू. 3 (पुरुषोत्तम कौरव)-मृतक-पीड़ित के दादा ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में बयान दिया है और यह भी कहा है कि उन्होंने सूखे कुएं से बरामद होने पर अपनी पोती के शव की पहचान की है।उन्होंने भी स्वीकार किया कि एक व्यक्ति का नाम

एच.

बाबा उर्फ अशोक को पुलिस ने बुलाया था लेकिन वह भाग गया था और कुछ और लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की थी।

16. मृतक के पिता पी. डब्ल्यू. 4 (सत्यप्रकाश) ने अपनी बेटी की खोज के लिए अपने और अन्य रिश्तेदारों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताया और बताया कि कैसे उस खोज के दौरान दर्शन कौरव के खेत में बने सूखे कुएं में शव मिला था।

17. पी. डब्ल्यू. 5 (शारदा) जो अपीलार्थी के साथ-साथ मृतक के परिवार से अच्छी तरह से परिचित है, भी अभियोजन पक्ष का एक महत्वपूर्ण गवाह है।उन्होंने अपदस्थ किया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन दोपहर लगभग 3 बजे वह अपनी पत्नी आलोप बाई के साथ साइकिल पर जा रहे थे, जब उन दोनों ने अपीलार्थी को मृतक के साथ देखा, जिसने 'नट्टू पटेल के खेत के पास पीपल के पेड़ के पास' काला फ्रॉक और काला पैंट पहना हुआ था।उन्होंने आगे कहा है कि घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था और यह सच है कि पुलिस ने मेरे साथ भी हमला किया था।यह सच है कि पुलिस ने कहा था कि वे बदमाश को गिरफ्तार कर लेंगे और उन्होंने हमला किया इसलिए मैंने घबराहट में कहा था।" हालांकि, अगली ही सांस में, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने उन पर हमला किया था और वे उन्हें अदालत के समक्ष झूठी गवाही देने के लिए मजबूर कर रहे थे।

ग

डी.

18. पी. डब्ल्यू. 6 (इट्टा उर्फ किच्छू) ने कहा है कि घटना से लगभग एक साल पहले जब वह कुछ गोबर फेंकने के बाद एक जलाशय के पास शौच करने गया था, तो उसने अपीलार्थी को झाड़ियों के पास पानी के चैनल पर मृतक को बिस्कुट खिलाते देखा था।उन्होंने यह तथ्य पी. डब्ल्यू. 7 (निम्मा जी) को बताया, जो एक शत्रुघ्न पटेल के खेत में गन्ने की कटाई कर रहे थे। अपनी जिरह में, उसने स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा घटना के डेढ़ महीने बाद उसका बयान दर्ज किया गया था।19. पी. डब्ल्यू. 7 (निम्मा बाई) ने पी. डब्ल्यू. 6 के बयान का इस हद तक समर्थन किया कि घटना से लगभग एक साल पहले, पी. डब्ल्यू. 6 ने उसे बताया था कि अपीलार्थी मृतक को बिस्कुट खिला रहा था।उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसने खुद अपीलार्थी को मृतक को बिस्कुट खिलाते नहीं देखा था।

ई.

च

20. P.W.10 (सरकारी माध्यमिक विद्यालय, चारगाँव के शिक्षक, कुलदिप कौरव) ने यह साबित करने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड प्रस्तुत किए कि मृतक को 16 जून, 2014 को छठी कक्षा में भर्ती कराया गया था और उसकी जन्म तिथि के अनुसार वह मुश्किल से 13 वर्ष की थी।

जी.

21. P.W.13 (राजेश कौरव) जो कि पटवाड़ी थे, ने गवाही दी कि उन्होंने घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया और बाद में उन्होंने ए.

एच.

आसपास के लोगों के हस्ताक्षर और उन्हें स्टेशन हाउस अधिकारी को भेज दिया।जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया कि कुएं के विवरण का उल्लेख स्थल मानचित्र में नहीं किया गया था, लेकिन स्वेच्छा से कहा कि कुएं को छोड़ दिया गया था और उसमें झाड़ियाँ उग रही थीं और बाहर उगने वाली घास/फसलों ने बागलाई-चारगांव सड़क से कुएं की दृश्यता में बाधा उत्पन्न की थी जो 20 फीट दूर स्थित थी।

22. P.W.14 (हरगोविंद कौरव) मृतक का चचेरा भाई था जिसने मृतक के शरीर को सूखे कुएं में सुस्त अवस्था में देखना स्वीकार किया।उन्होंने कहा कि कुआँ सड़क से दिखाई नहीं दे रहा था और स्वेच्छा से कहा कि वह पुलिस के सामने अपीलार्थी के बयान (बयानों) के गवाह थे और बाद में पास के जल चैनल से दूसरी चप्पल की जब्ती भी देखी।

ग

23. P.W.15 (प्रकाशचंद मेहरा) चारगाँव के कोटवार का बेटा है और उसने गवाही दी कि उसके सामने मौके का नक्शा और पंचनामा तैयार किया गया था, उसकी उपस्थिति में तीन संदिग्धों (अपीलार्थी सहित) के रक्त के नमूने लिए गए थे और लापता चप्पल को पुलिस ने उसके साथ जब्त कर लिया था।हालांकि, जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह पुलिस द्वारा अपीलार्थी से पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं था।

डी.

24. P.W.17 (संजय कुमार नागवंशी) अगस्त, 2015 में गदरवाड़ा में तहसीलदार थे।उन्होंने कहा कि उन्होंने अपीलार्थी के माध्यम से बरामद चप्पल का मिलान करने के लिए पहचान की कार्यवाही की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह मृतक की है।उन्होंने अपने कर्मचारियों से समान दिखने वाली काली चप्पलें खरीदने और उन्हें पुलिस स्टेशन से प्राप्त चप्पल के साथ मिलाने की गवाही दी।हालाँकि पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 दोनों को उनके द्वारा बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने गवाही दी कि केवल पी. डब्ल्यू. 2 उनके कार्यालय में आए और मृतक की चप्पल की सही पहचान की।

ई.

च

25. P.W.18 (एम. डी. यादव) को पुलिस स्टेशन चिचली में सहायक उप-निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था और वह पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने 22 मई, 2015 की दोपहर को पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी।उन्होंने पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा प्रस्तुत चप्पल और सलवार को जब्त करने की भी गवाही दी।

जी.

26. P.W.19 (सी. एम. शुक्ला) को एस. एच. ओ. के रूप में तैनात किया गया था जिसने मौके का नक्शा तैयार किया था और मृतक के शव की पहचान की कार्यवाही के दौरान भी मौजूद था।जिरह के दौरान जब उनका सामना किया गया कि लापता होने के समय को रोजनामचा में 10.00 p. m. के रूप में क्यों दोहराया गया, तो उन्होंने समझाया कि यह एक गलती थी।

एच.

27. P.W.21 (कृष्णकांत कौरव) को ग्राम पंचायत चारगाँव में ग्राम रोजगार सहायक के रूप में तैनात किया गया था और अपीलार्थी की पूछताछ के गवाह के रूप में गवाही दी गई थी, विशेष रूप से लापता चप्पल के स्थान का खुलासा और उसी की बरामदगी।

28. P.W.22 (नियाजुल खान) वह निरीक्षक था जिसने सरकारी अस्पताल, चिचली में अपीलार्थी के रक्त का नमूना निकाला और अपीलार्थी और दो अन्य लोगों के रक्त वाली सीलबंद शीशियों का जब्ती ज्ञापन तैयार किया और उन्हें एफ. एस. एल. सागर को भेज दिया।ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील को एफ़. आई. आर., पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और रोज़नामचा से संबंधित सवाल पूछने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि केवल गवाह द्वारा की गई जाँच से संबंधित सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं।29. P.W.23 (डी. वी. एस. सागर) को पुलिस स्टेशन चिचली में स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था और P.W.15 और P.W.20 की उपस्थिति में आरोपी के ज्ञापन बयान दर्ज करने के लिए गवाही दी गई थी, जिसके आधार पर उसने दर्शन कौरव के खेत में घटना स्थल के पास एक पेड़ के नीचे झाड़ियों के पास से दाहिने पैर की गायब काली फाइबर चप्पल जब्त की।

डी.

30. P.W.24 (राजकुमार दीक्षित) हेड कांस्टेबल थे जिन्होंने सीलबंद विसरा जार और योनि स्लाइड जब्त किए थे जिन्हें हेड कांस्टेबल चेत्रम द्वारा प्रस्तुत किया गया था।उन्होंने खुद सीलबंद पार्सल की जांच नहीं करने की बात स्वीकार की और कहा कि उन्होंने उन्हें पुलिस स्टेशन में एक लॉकर में सुरक्षित रूप से बंद कर दिया।

ई.

31. उपर्युक्त मौखिक गवाही के अलावा, अब हम अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में चिकित्सा-वैज्ञानिक साक्ष्य का उल्लेख कर सकते हैं।

32. पी. डब्ल्यू. 8 (डॉ. आर. आर. चौधरी), एफ. एस. एल., सागर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ने बयान दिया है कि 4 जून, 2015 को उन्होंने तीन प्रदर्शनों की जांच की; Ex के रूप में चिह्नित स्लाइड। ए, सलवार को एक्स के रूप में चिह्नित किया गया है। बी और चप्पल को एक्स के रूप में चिह्नित किया गया है। सी जो मृतक का था।जाँच के दौरान, स्लाइड पर मानव शुक्राणु पाए गए (उदा। हालाँकि, मृतक का 'ए') सलवार पर केवल मानव रक्त पाया गया था। 'बी')।चप्पल पर कोई खून या वीर्य नहीं मिला (उदा। 'सी')।सलवार पर खून के धब्बों के रक्त समूह का पता नहीं चल सका क्योंकि उस पर बहुत गंदगी फंसी हुई थी।

च

जी.

33. पी. डब्ल्यू. 9 (डॉ. सी. एस. जैन) को 12 जून, 2015 को मेडिको-लीगल इंस्टीट्यूट, भोपाल में फोरेंसिक विशेषज्ञ-विश्लेषण के रूप में तैनात किया गया था। 'डी', 'ई' और 'एफ') जिसमें ए के शरीर के विभिन्न भाग शामिल हैं।

एच.

मृतकों को उनकी मुहरों के साथ प्राप्त किया गया।हालाँकि, जब इन विसरा के नमूनों को खोला गया तो वे जांच के लिए अनुपयुक्त स्थिति में पाए गए क्योंकि तरल बदबूदार और धूलदार हो गया था, और ऊतक सड़ गए थे।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, समय के मूल्यांकन और घटनाओं के अनुक्रम के साथ-साथ राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट की तुलना करने के बाद, पी. डब्ल्यू. 9 ने निम्नलिखित राय दी, जिसे उनकी प्रतिपरीक्षा में बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया जा सकाः

“12. रायः- मेरे विषय ज्ञान के आधार पर जिन दस्तावेजों की जांच की गई है, उनमें वर्णित तथ्यों के विश्लेषण के बाद, मेरे द्वारा लगातार 33 वर्षों से अधिक समय तक किए गए 10984 पोस्टमॉर्टम से प्राप्त पुस्तकों और अनुभव के लेखों के बारे में मेरी राय है किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

1. मृतक की दम घुटने से मौत हो गई।

2. मृतक की मृत्यु से पहले उसके साथ यौन संबंध बनाया गया था जो उम्र को देखते हुए बलात्कार के बराबर था।

डी.

3. मृतक को उसकी मृत्यु से पहले घसीटा गया था और संघर्ष का संकेत देने वाली चोटें भी मौजूद थीं।

4. मृतक की स्लाइड और सलवार डी. एन. ए. जांच के लिए रखे गए थे।रिपोर्ट तैयार होने तक मुझे उनके परिणाम का पता नहीं था अन्यथा अन्य राय भी व्यक्त की जा सकती थी।उक्त रिपोर्ट को प्राप्त करने के तुरंत बाद मामले में संलग्न करना उचित होगा।

यदि मृतक के साथ संभोग करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को पता चलता है तो उनके शुक्राणुओं के डी. एन. ए. का मिलान योनि स्लाइड में मौजूद शुक्राणुओं के डी. एन. ए. के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि यदि वे मेल खाते हैं तो यह वैज्ञानिक रूप से पुष्टि की जाएगी कि उनके द्वारा संभोग किया गया था।इस संबंध में मेरी रिपोर्ट एक्सपी-11 है जो 5 पृष्ठों में है।इस पर ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।"

ई.

च

34. P.W.11 (डॉ. पंकज श्रीवास्तव) को 24 जून, 2015 से 20 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान एफएसएल, सागर की डीएनए इकाई में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और उन्होंने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिससे पता चलता है कि अपीलार्थी के रक्त से निकाला गया डीएनए मृतक की योनि स्मीयर स्लाइड और सलवार से डीएनए से मेल खाता है।यह विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि अन्य पांच संदिग्धों के शारीरिक तरल पदार्थ पीड़ित के स्रोत योनि स्लाइड या सलवार में मौजूद नहीं पाए गए थे।गवाह से बहुत लंबी जिरह की गई थी

जी.

एच.

लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट में उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को विचलित कर सके।उनकी राय नीचे दी गई हैः

" 1....

1. पुरुष डी. एन. ए. प्रोफाइल मृतक के स्रोत योनि स्मीयर स्लाइड और सलवार पर पाया गया था।

2. संदिग्ध हरगोविंद कौरव, संदिग्ध नंदी उर्फ आनंद और संदिग्ध बाबा उर्फ अशोक के शरीर के तरल पदार्थ मृतक के स्रोत योनि स्लाइड और सलवार में मौजूद नहीं पाए गए।

3. संदिग्ध रूपराम और संदिग्ध मनोज के शरीर के तरल पदार्थ मृतक के स्रोत योनि स्लाइड और सलवार में मौजूद नहीं पाए गए।

ग

4. संदिग्ध बाबा @रविशंकर के साथ मेल खाने वाला डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल मृतक के स्रोत योनि स्लाइड और सलवार में मौजूद पाया गया।

डी.

2. संदिग्ध हरगोविंद कौरव, नंदी @आनंद कौरव और बाबा @अशोक के संबंध में मेरे द्वारा दी गई राय एक्सपी-15 है जो 3 पृष्ठों में है और उस पर ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।संदिग्ध बाबा @रविशंकर, रूपराम @रूपू कौरव और मनोज @हल्के यादव के संबंध में मेरे द्वारा दी गई राय एक्सपी-16 है जो 2 पृष्ठों में है और उस पर ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।"

ई.

35. 23 मई, 2015 को सरकारी अस्पताल चिचली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात डॉ. किंशुक जयसवाल ने मृतक के शव का सुबह 9 बजे पोस्टमॉर्टम किया।उसने कहा है कि शरीर का सड़ना शुरू हो गया था और दुर्गंध आ रही थी।उन्होंने

पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर मृत्यु के समय का अनुमान 48-72 घंटे पहले या संभवतः पहले लगाया।उसने मृतक के बालों के अंदर चारा भी पाया और कहा कि मृतक की दो योनि स्लाइडों को जांच के लिए भेजा गया था।पोस्टमॉर्टम जांच में उसने जो देखा वह इस प्रकार थाः

च

जी.

" मृतक के शरीर के पूरे बाएं हिस्से में खरोंच मौजूद होती है।बाएँ हाथ के पार्श्वीय पहलू से बाएँ अग्र-भुजा तक का विस्तार आकार में अनियमित 15 सेमी x 3.5 सेमी।बायीं जांघ पार्श्व 8 सेमी x 3 सेमी।बायां पैर (पार्श्व) 7.5 सेमी x 2.5 सेमी अनियमित आकार का।बायां नितंब 15 से. मी. x 4.5 से. मी. अनियमित।गर्दन सूज जाती है।गर्दन के दोनों तरफ पूर्ववर्ती पहलू पर चोटें होती हैं।दाएँ ए पर मौजूद उलझन

एच.

301

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

बाएं सुपरक्लेविकुलर क्षेत्र (6 सेमी x 2 सेमी), बाएं हाथ (5 सेमी x 2.5 सेमी), बाएं स्कैप्युलर क्षेत्र (8 सेमी x 2.5 सेमी) के ऊपर अक्षीय क्षेत्र 5 सेमी x 2.5 सेमी।दाहिने जांघ के चिकित्सा पहलू (10 से. मी. x 2.5 से. मी.) पर मौजूद संदूषण। पेरिनियल क्षेत्र फूल जाता है और सूज जाता है।प्यूबिक बाल अनुपस्थित हैं।हाइमन फट गया।दो योनि स्लाइड तैयार की जाती हैं और जैव रासायनिक परीक्षा के लिए + भेज दी जाती हैं।भावनाएँ बीत गईं।बाएं पैर (डोर्सली) पर मौजूद संदूषण 3.5 सेमी x 1.5 सेमी और दाहिने हथेली (पामर पहलू) पर 2 सेमी x 1.5 सेमी आकार का संदूषण मौजूद है।....(sic.) "36. P.W.16 (डॉ. क्षिप्रा कौरव) को 8 जुलाई, 2015 को सरकारी अस्पताल, चिचली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था, जब उन्हें अपीलार्थी के रक्त का नमूना लेने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने एक शीशी में रखा था, इसे सील कर दिया और इसे एस. एच. ओ. को सौंप दिया, जिन्होंने जब्ती ज्ञापन तैयार किया। पी-5।उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वेच्छा से कहा है कि दो और व्यक्तियों के रक्त के नमूने भी उसी दिन अपीलार्थी से पहले लिए गए थे और उन सभी व्यक्तियों की तस्वीरें जिनकी रक्त के नमूने लिए गए थे, उन्हें विधिवत सत्यापित किया गया था।उन्होंने आगे स्वेच्छा से पहचान प्रपत्र पूर्व दिया। अपीलार्थी की तस्वीरों के साथ पी-9 को भी उनके द्वारा सत्यापित किया गया था।

ग

डी.

37. अनिवार्य रूप से, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक मामला है जो गुप्त और चिकित्सा-वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित है। अभियोजन पक्ष ने प्रभावी रूप से साबित किया है कि मृतक को अपीलार्थी के साथ 'अंतिम बार देखा' गया था और पहले के अवसरों पर भी अपीलार्थी द्वारा लुभाया जाता देखा गया था।स्थापित एसटीआर तकनीक का उपयोग करते हुए डीएनए साक्ष्य ने साबित किया है कि अपीलार्थी ने मृतक के साथ यौन संबंध बनाए थे।मृत व्यक्ति को स्कूल रिकॉर्ड का उपयोग करके नाबालिग साबित किया गया है।संघर्ष के संकेतों के साथ उसके शरीर पर विभिन्न चोटों ने साबित कर दिया कि इस तरह का अपराध बर्बर तरीके से किया गया था।मृत्यु को हत्या और गला घोंटने के कारण होने के रूप में स्थापित किया गया है, और उस समय के दौरान अनुमान लगाया गया है जब मृतक को अपीलार्थी के साथ देखा गया था।अपीलार्थी के माध्यम से एक चप्पल बरामद की गई है जिसकी पहचान बाद में मृतक से संबंधित के रूप में की गई है, जो परिस्थितिजन्य श्रृंखला को अंतिम रूप देती है। अपीलार्थी कोई बहाना पेश करने में असमर्थ रहा है और उसका बचाव केवल मृतक के परिवार पर अपराध को हटाने पर निर्भर करता है, जो बिना किसी सबूत के है।इसके अलावा, किसी भी चिकित्सा या डीएनए रिपोर्ट के खिलाफ कोई प्रभावी चुनौती नहीं दी गई है।इस प्रकार अपीलार्थी के अपराध और उसके परिणामी दोषसिद्धि के खिलाफ कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है।38. इसलिए अपहरण, बलात्कार, परिणामी मृत्यु और सबूतों को नष्ट करने के निष्कर्ष उचित संदेह से परे साबित हुए हैं।

ई.

च

जी.

एच.

302

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 14 एस सी आर।

निम्नलिखित न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों द्वारा प्रमाणित।यहां तक कि इस न्यायालय ने 10 जनवरी, 2018 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की है कि डी. एन. ए. टाइपिंग वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए उच्च संभावित मूल्य रखती है, जो अक्सर नेत्र साक्ष्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती है।यह बिना चला जाता है

यह कहते हुए कि (i) पंतंगी बलराम वेंकट गणेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2 और (ii) धरम देव यादव बनाम उत्तर राज्य

प्रदेश 3, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि डी. एन. ए. परीक्षण, भले ही अचूक न हो, लगभग एक सटीक वैज्ञानिक साक्ष्य है जो एक आपराधिक मामले में निष्कर्षों के लिए एक मजबूत आधार हो सकता है।

सजाः

39. मुख्य मुद्दा जो हमें तय करना है वह है अपीलार्थी को दी जाने वाली सजा की प्रकृति।निचली अदालत ने 'गंभीर' परिस्थितियों के खिलाफ 'कम करने वाली' परिस्थितियों पर एक बैलेंस-शीट तैयार करने के बाद मौत की सजा सुनाई।इसने नोट किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी और बड़ी संख्या में आश्रितों की कमी अपीलार्थी की परिपक्व (40-50) उम्र, अपराध की जघन्यता, समाज की प्रतिकूल प्रतिक्रिया, अपराध के पूर्व नियोजित तरीके, मृतक के शरीर पर चोट और मुकदमे के दौरान खेद की कमी से अधिक थी।उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन संभोग के कारण खून बह रहा था और अपीलार्थी द्वारा अपने अपराधों से इनकार करने के कारण सुधार की कोई संभावना नहीं थी।तदनुसार, इसने अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड देना उचित था।

ग

डी.

ई.

40. इस सवाल पर कि मौत की चरम सजा क्यों और किन परिस्थितियों में दी जानी चाहिए, इस अदालत द्वारा कई दशकों से विचार किया जा रहा है।इस न्यायालय की संविधान पीठ ने

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य **4** ने जीवन के सिद्धांत को विकसित किया

'नियम' के रूप में कारावास और 'अपवाद' के रूप में मृत्युदंड।इसने अपराधी के सुधार या पुनर्वास की संभावना पर विचार करना अनिवार्य कर दिया।इस प्रकार, इसने मृत्युदंड देने के लिए 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' सिद्धांत की उत्पत्ति की।

च

41. इसे माछी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य **5** में आगे विकसित किया गया था**,** जहां इस न्यायालय ने कहा था कि 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' परीक्षण के हिस्से के रूप में**,** न्यायालय को खुद को संबोधित करना चाहिए कि क्या**; (i)** अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जो सजा देता है

जी.

2 (2009) 14 एससीसी 607 3 (2014) 5 एससीसी 509 4 (1980) 2 एससीसी 684 5 (1983) 3 एससीसी 470 ए

एच.

303

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

आजीवन कारावास अपर्याप्त है और मृत्युदंड की मांग करता है; (ii) परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।इसके अलावा, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया किः

"(i) अत्यधिक दोषपूर्णता के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मृत्यु की अत्यधिक सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

((ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ग

((ग) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है।दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त दंड प्रतीत होता है, और बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा देने के विकल्प का ईमानदारी से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

डी.

(iv) बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों का एक संतुलन तैयार करना होगा और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का उपयोग करने से पहले बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाना होगा।"

ई.

42. ऐसे कई निर्णय हुए हैं जहां इस न्यायालय ने मृत्युदंड देने के लिए परिस्थितियों को लगातार प्रतिबंधित किया है और मृत्युदंड को अनिवार्य करने से पहले विशेष कारण दिखाने का बोझ बढ़ाया है, जैसा कि Cr.P.C 43 की धारा 354 (3) के तहत अनिवार्य है।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की एक बैलेंस शीट तैयार करने की यह कवायद फिर भी बहुत थकाऊ रही है।इसके परिणामस्वरूप विभिन्न पीठों के बीच मानक की सर्वसम्मति की कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप मृत्युदंड देने के लिए अलग-अलग मानक बनाए गए हैं।44. मृत्युदंड के उन्मूलन के कई नायक इस न्यायालय से आग्रह करते रहे हैं कि बिना नेत्र साक्ष्य के मामलों में अंतर्निहित कमजोरी का दावा करने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में मृत्युदंड न दिया जाए।वे सुधार और पुनर्वास की हमेशा बनी रहने वाली संभावना पर प्रकाश डालते हैं।

च

जी.

एच.

304

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और इस न्यायालय से अभियुक्त की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों का संज्ञान लेने के लिए कहें।

45. इसके साथ-साथ, हालांकि, एक समानांतर विचार ने दृढ़ता से वकालत की है कि सजा की आनुपातिकता बनाए रखने और निवारक प्रभाव और सामाजिक प्रतिशोध की आशंकाओं को आगे बढ़ाने के लिए मौत को लागू किया जाना चाहिए।इन लोगों का तर्क है कि सजा न्यायाधीश-केंद्रित होने के बजाय समाज-केंद्रित होनी चाहिए और यह तर्क देने के लिए एक लागत-लाभ विश्लेषण का उपयोग करना चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति को मारने की छोटी संभावना कई लोगों के जीवन को खतरे में डालने के विकल्प के सामने उचित से अधिक है।वे आगे कहते हैं कि यह संभावना, दोषसिद्धि के स्तर पर 'उचित संदेह से परे' मानक द्वारा पहले से ही अच्छी तरह से सुरक्षित है।

ग

46. जाहिरा तौर पर स्वामी श्रद्धानंद में मृत्यु या केवल 14-20 वर्षों के कारावास के बीच की इस तरह की पहेली से निपटने के लिए

@ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य **6,** तीन न्यायाधीश

डी.

इस अदालत की पीठ ने सजा की एक संकर विशेष श्रेणी विकसित की और फैसला सुनाया कि अदालत मौत की सजा को कम कर सकती है और इसे इस निर्देश के साथ आजीवन कारावास के साथ प्रतिस्थापित कर सकती है कि दोषी को उसके शेष जीवन के लिए जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।यह स्वीकार करने के बाद कि "मामले की सच्चाई यह है कि मृत्युदंड का प्रश्न व्यक्तिपरक तत्व से मुक्त नहीं है और इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि या इसे कम करना पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों की व्यक्तिगत इच्छा पर काफी हद तक निर्भर करता है", इस न्यायालय ने आगे कहाः

ई.

"92. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है।सजा सुनाने के मुद्दे के दो पहलू हैं।एक सजा अत्यधिक और अनुचित रूप से कठोर हो सकती है या यह अत्यधिक असमान रूप से अपर्याप्त हो सकती है।जब कोई अपीलकर्ता निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा लेकर इस अदालत में आता है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, तो यह अदालत, जैसा कि वर्तमान अपील में पाया जा सकता है कि मामला दुर्लभतम श्रेणी से कम है और मौत की सजा का समर्थन करने में कुछ अनिच्छुक महसूस कर सकता है।लेकिन साथ ही, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय दृढ़ता से महसूस कर सकता है कि छूट के अधीन आजीवन कारावास की सजा आम तौर पर एक अवधि के लिए काम करती है।

च

जी.

6 (2008) 13 एससीसी 767 ए

एच.

305

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

14 वर्ष की अवधि अत्यधिक असमान और अपर्याप्त होगी।फिर अदालत को क्या करना चाहिए?यदि न्यायालय का विकल्प केवल दो दंडों तक सीमित है, एक कारावास की सजा, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, 14 वर्ष से अधिक की नहीं और दूसरी मृत्यु, तो न्यायालय प्रलोभन महसूस कर सकता है और खुद को मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित पा सकता है।

इस तरह का रास्ता वास्तव में विनाशकारी होगा।एक अधिक न्यायसंगत, उचित और उचित मार्ग यह होगा कि विकल्पों का विस्तार किया जाए और वास्तव में, जो कानूनी रूप से न्यायालय से संबंधित है, यानी 14 साल के कारावास और मृत्यु के बीच के विशाल अंतराल को अपने नियंत्रण में लिया जाए।इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि न्यायालय मुख्य रूप से विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा क्योंकि मामले के तथ्यों में, 14 साल के कारावास की सजा किसी भी सजा के बराबर नहीं होगी।

ग

93. इसके अलावा, सजा की एक विशेष श्रेणी के औपचारिकरण का, हालांकि बहुत कम मामलों के लिए, क़ानून की पुस्तक में मृत्युदंड होने का बहुत लाभ होगा, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग जितना संभव हो उतना कम करने के लिए, वास्तव में दुर्लभतम मामलों में।यह केवल बचन सिंह [(1980) 2 एस. सी. सी. 684 में संविधान पीठ के फैसले की पुनः पुष्टि होगी:1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 580:ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 898] दंडविज्ञान में आधुनिक रुझानों के अनुरूप होने के अलावा।

डी.

94. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि न्यायालय के लिए आजीवन कारावास या चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मौत की सजा को प्रतिस्थापित करने का एक अच्छा और मजबूत आधार है और आगे यह निर्देश देने के लिए कि दोषी को उसके शेष जीवन के लिए या आदेश में निर्दिष्ट वास्तविक अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए।"47. स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) में विकसित विशेष सजा सिद्धांत को संविधान की मंजूरी मिल गई है।

ई.

च

भारत संघ बनाम श्रीहरण उर्फ मुरुगन में इस न्यायालय की पीठ

और अन्य 7, निम्नानुसार:“105. इसलिए हम दोहराते हैं कि ऐसे निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड संहिता में प्रदान की गई सजा के भीतर किसी भी संशोधित सजा के लिए दंड संहिता से प्राप्त शक्ति का उपयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और आगे की अपील की स्थिति में केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है न कि किसी अन्य अदालत द्वारा।

जी.

7 (2016) 7 एससीसी 1

एच.

306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 14 एस सी आर।

इस देश को।इसे अलग तरह से रखने के लिए, कारावास की किसी विशिष्ट अवधि के लिए या मृत्युदंड के विकल्प के रूप में दोषी के जीवन के अंत तक का प्रावधान करने वाली संशोधित सजा देने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, न कि किसी अन्य निचली अदालत द्वारा।

106. उस संबंध में देखते हुए, हम कहते हैं कि अनुपात में निर्धारित

स्वामी श्रद्धानंद (2) [स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम राज्य

कर्नाटक का, (2008) 13 एस. सी. सी. 767:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 113] कि मौत के बजाय सजा की एक विशेष श्रेणी; 14 साल से अधिक की अवधि के लिए और उस श्रेणी को छूट के आवेदन से परे रखना अच्छी तरह से स्थापित है और हम उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से देते हैं।इसलिए हम संगीत बनाम हरियाणा राज्य [संगीत बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 2 एस. सी. सी. 452 में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमत नहीं हैं:(2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 611] कि 20 या 25 साल की सजा देकर या बिना किसी छूट के उपयुक्त सरकार की माफी की शक्ति से वंचित करना कानून के अनुरूप नहीं है और हम विशेष रूप से इसे रद्द करते हैं।"

ग

डी.

48. इस अदालत के मध्यम मार्ग के बावजूद, जब इस अवसर ने मांग की, तो कई भयानक, बर्बर और उत्कृष्ट अपराधों में मौत की सजा की पुष्टि की, जिसमें विशेष रूप से अपहरण, बलात्कार और कम उम्र के बच्चों की निर्मम हत्या शामिल है।

ई.

49. मुकेश और एक अन्य बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**)** और अन्य **8** में**,**

सामूहिक बलात्कार और क्रूर हत्या के एक उदाहरण का सामना करते हुए, इस अदालत ने पाया कि अपराध की शैतानी प्रकृति, निर्लज्जता और ठंडक जैसी गंभीर परिस्थितियां जिनके साथ इस तरह के कार्य किए गए थे और जिस अमानवीय हद तक आरोपी अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए जा सकते थे, वह कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक होगी।

च

50. वसंत संपत डुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य **9** में**,** ए

छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि की गई थी।इसके बाद, खुली अदालत में एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई की गई और दोषी के स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम पूरा करने, निर्दोष जेल रिकॉर्ड रखने और मुकदमे के दौरान कुछ अन्य सुधारात्मक योग्यता प्राप्त करने की परवाह किए बिना मौत की सजा की फिर से पुष्टि की गई।इस न्यायालय का विचार था कि अत्यधिक भ्रष्टता और बर्बर तरीके से अपराध किया गया था।

जी.

8 (2017) 6 एस. सी. सी. 9 (2017) 6 एस. सी. सी. 631 ए

एच.

307

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

प्रतिबद्ध और यह तथ्य कि पीड़ित 4 साल का एक असहाय बच्चा था, स्पष्ट रूप से उस मामले में कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक था।

51. खुशविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **10** के मामले में**,** यह न्यायालय

उन अभियुक्तों की मौत की सजा की पुष्टि की, जिन्होंने दो नाबालिगों सहित छह निर्दोष व्यक्तियों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी, उन्हें नींद की गोलियों का नशा पिलाया और फिर उन्हें नहर में धकेल दिया था।

52. मनोहरन बनाम में। पुलिस निरीक्षक **11,** तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ

(बहुमत से) ने आरोपी की मौत की सजा की पुष्टि की, जिसे अपने सह-आरोपी के साथ 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके 7 साल के भाई के साथ मिलकर उसकी क्रूर हत्या करने का दोषी पाया गया था।53. इसी तरह, हाल के उदाहरणों सहित कई अन्य उदाहरण हैं।

ग

समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) में राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य का उदाहरण। सं. 306-307/2013 जहाँ इस न्यायालय ने परिवर्त्तित किया

उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस बात पर ध्यान देने के बाद कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी और हालांकि डी. एन. ए. परीक्षण किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट को रोक दिया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए पेश नहीं किया गया था, तीन से चार साल की उम्र के बच्चों के बलात्कार और हत्या के मामले में भी मृत्युदंड।

डी.

54. उदाहरणों की विस्तृत जांच पर, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का एक पूर्ण सिद्धांत निर्धारित करना पूरी तरह से अविवेकी होगा कि किसी ऐसे मामले में मौत की सजा नहीं दी जा सकती है जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो।इस तरह का मानक अनुभवी अपराधियों द्वारा दुरुपयोग के लिए तैयार होगा जो हमेशा प्रत्यक्ष साक्ष्य को नष्ट करना सुनिश्चित करते हैं।इसके अलावा बच्चों के बलात्कार और हत्या के कई मामलों में, पीड़ित अपनी कम उम्र के कारण कोई प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं।ऐसे मामलों में यह अत्यधिक संभावना है कि कोई नेत्र साक्ष्य नहीं होगा।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे प्रत्येक मामले में यह समझते हुए कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, न्यायालय को केवल इस कारण से मृत्युदंड नहीं देना चाहिए कि अपराधी को एक चश्मदीद गवाह द्वारा अपराध करते हुए नहीं देखा गया है।यदि इस तरह के तर्क को समान रूप से और यांत्रिक रूप से लागू किया जाता है, तो समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में एक प्रमुख हितधारक है।

ई.

च

जी.

10 (2019) 4 एससीसी 415

11 (2019) एससीसीऑनलाइन एससी 951

एच.

55. इसके अलावा, मौत की सजा के सिद्धांत में एक और नवजात विकास को आसुत किया जा सकता है।यह न्यायालय हाल के कई मामलों में 'अवशिष्ट संदेह' का तेजी से संज्ञान ले रहा है, जो मौत की अपरिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए, नियमित मृत्युदंड की सजा के खिलाफ सुरक्षा के रूप में, दोषसिद्धि के चरण में उपयोग किए जाने वाले 'उचित संदेह से परे' मानक के अलावा सबूत का एक उच्च मानक प्रभावी रूप से बनाता है।

56. रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ बनाम गुजरात राज्य में, 12

इस न्यायालय ने नोट किया कि एक परिस्थितिजन्य श्रृंखला को साबित करने और मृत्युदंड देने के लिए केवल 'प्रशंसनीय' साक्ष्यों पर भरोसा करना 'की अवज्ञा में' होगा

कोई भी तर्क जो किसी मामले को "दुर्लभतम" की श्रेणी में लाता है

दुर्लभ मामलों में "।" इसके अलावा, परिस्थितिगत श्रृंखला में अन्य महत्वपूर्ण लिंक में विभिन्न विसंगतियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के कबूलनामे के बयान को वापस लेने को स्वीकार नहीं करने के लिए किसी भी ठोस कारण की कमी को नोट किया गया।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में ऐसी विभिन्न खामियों के साथ-साथ अन्य कम करने वाली परिस्थितियों के प्रकाश में कार्रवाई करते हुए, जैसे कि इस संभावना के कि अपराध में अन्य लोग शामिल थे, इस न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखने के बावजूद मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया।57. आपराधिक दोषसिद्धि के लिए आवश्यक 'उचित संदेह से परे' मौत की सजा के उद्देश्यों के लिए सबूत के उच्च मानक को लागू करना अपनाया गया 'अवशिष्ट संदेह' मीट्रिक के समान है।

ग

डी.

इस न्यायालय द्वारा अशोक देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य **13** में**,** जिसमें यह

यह नोट किया गया था किः

ई.

“ हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में**,** अभियुक्त के अपराध को दर्ज करने के लिए**,** यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष को मामले को पूर्ण या गणितीय निश्चितता के साथ साबित करना चाहिए**,** लेकिन केवल उचित संदेह से परे।आपराधिक अदालतें**,** यह जांच करते हुए कि क्या कोई संदेह उचित संदेह से परे है**,** अपने दिमाग में कुछ **"**अवशिष्ट संदेह**"** रख सकती हैं**,** भले ही अदालतें आरोपी व्यक्तियों के अपराध के बारे में उचित संदेह से परे आश्वस्त हों।**"**

च

58. अशोक देबबर्मा (ऊपर) ने एक 'अवशिष्ट संदेह' के बीच अंतर किया, जो प्रतिवादी के अपराध के बारे में कोई भी शेष या स्थायी संदेह है जो दोषसिद्धि के दौरान 'उचित संदेह से परे' मानक की संतुष्टि के बावजूद सजा के चरण में रह सकता है, और उचित संदेह जो कृष्ण बनाम राज्य 14 में परिभाषित किए गए हैं "वास्तविक" हैं।

जी.

12 (2011) 2 एससीसी 764 13 (2014) 4 एससीसी 747 14 (2003) 7 एससीसी 56 ए

एच.

309

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

और मौलिक, और न केवल काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभव।ये 'अवशिष्ट संदेह' हालांकि दोषसिद्धि के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन इस बात पर विचार करते हुए कि क्या मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आता है, परिस्थितियों को कम करने की दिशा में झुकेंगे।

59. इस सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य क्षेत्राधिकारों में भी मान्यता दी गई है, जहां राज्य बनाम मैककिनी 15 में टेनेसी के सर्वोच्च न्यायालय जैसे कुछ राज्य न्यायालयों ने समझाया है कि अपराध का अवशिष्ट संदेह सजा के चरण के दौरान एक वैध गैर-सांविधिक शमनकारी परिस्थिति है और प्रतिवादी के चरित्र, पृष्ठभूमि इतिहास, शारीरिक स्थिति आदि से संबंधित सजा की कार्यवाही के दौरान नए साक्ष्य की अनुमति दी है।

ग

60. उपरोक्त उद्धृत सिद्धांतों का हमारे द्वारा बारीकी से पालन किया गया है, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।शुरुआत में, हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि उच्च न्यायालय ने मृत्यु की पुष्टि करते हुए कहा है कि लड़की को जबरन यौन संभोग के कारण खून बहता हुआ पाया गया था-जो तथ्य, हालांकि, चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।हालांकि, इस तरह के गलत निष्कर्ष का आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि धारा के नंगे अवलोकन से पता चलता है कि केवल बलात्कार के अपराध के दौरान पीड़ित की मृत्यु का तथ्य आवश्यक है, और ऐसी मृत्यु किसी भी दोषी इरादे से या केवल बलात्कार के कार्य का स्वाभाविक परिणाम नहीं होनी चाहिए।यदि बलात्कार के अपराध के साथ समकालीन रूप से किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा किए गए किसी भी कार्य से मौत को शामिल करने के लिए इसे व्यापक रूप से पर्याप्त शब्द दिया गया है।कोई भी अन्य व्याख्या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर देगी और धारा 304 के तहत कम आरोप लगाने के लिए मौत का कारण बनने के इरादे की कमी का दावा करने वाले बलात्कारियों की पिछली खामियों को कायम रखेगी।

डी.

ई.

आई. पी. सी. जैसा कि संशोधनों पर समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में आपराधिक कानूनः

च

“22. जबकि हमारा मानना है कि यौन उत्पीड़न के मामलों की एक बड़ी संख्या में बढ़े हुए दंड का निर्णय उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून के आधार पर किया जा सकता है, कुछ स्थितियों में एक विशिष्ट उपचार की आवश्यकता होती है।हमारा मानना है कि जहां यौन हमले, विशेष रूप से 'सामूहिक बलात्कार' के अपराध के साथ ऐसी क्रूरता और हिंसा होती है कि यह मौत या एक स्थायी वनस्पति अवस्था (या चिकित्सा शब्दावली में 'पीवीएस') की ओर ले जाती है, तो सजा कठोर होनी चाहिए-जिसमें न्यूनतम सजा आजीवन कारावास होनी चाहिए।जबकि हम

जी.

15 74 S.W.3d 291 (टेन. 2002)

एच.

इस तर्क की सराहना करते हुए कि जहां ऐसे अपराधों के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, मामले को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामले के रूप में भी चलाया जा सकता है, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे कई मामले वास्तव में धारा 304 (भाग 2) के दायरे में आ सकते हैं क्योंकि 'मारने का इरादा' अक्सर स्थापित नहीं किया जा सकता है। स्थायी वनस्पति राज्य के परिणामस्वरूप होने वाली हिंसा के मामले में, हमें युवा नर्स अरुणा शानबाग की दिल दहला देने वाली कहानी याद आती है, जिसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया था और उसने अपना शेष जीवन (यानी लगभग 36 वर्ष) स्थायी वनस्पति राज्य में बिताया था।

23. हमारी राय में, ऐसी स्थितियों के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि बलात्कार और हिंसा फैलाने के ठोस प्रयास से एक ऐसी मंशा का पता चल सकता है जो एक बढ़ी हुई सजा के योग्य हो।इसलिए हमने सिफारिश की है कि "बलात्कार

के बाद मृत्यु या जिसके परिणामस्वरूप एक स्थायी वनस्पति अवस्था" के अपराध से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में एक विशिष्ट प्रावधान, अर्थात् धारा 376 (3) को जोड़ा जाना चाहिए।"

ग

डी.

61. वर्तमान मामले में, हमारे मन में कुछ अवशिष्ट संदेह हैं।अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गवाह, पी. डब्ल्यू. 5 प्रतिपरीक्षा में आंशिक रूप से असंगत है और जल्दी से एक कथन से दूसरे कथन में कूद जाता है।दो अन्य गवाहों, पी. डब्ल्यू. 6 और पी. डब्ल्यू. 7 ने अपीलार्थी को घटना से एक साल पहले मृतक को बिस्कुट खिलाते हुए देखा था और इसकी सूचना देने में उनकी लंबी देरी विश्वास पैदा करने में विफल रही।मृतक की मां ने बयान दिया है कि अपीलार्थी की पत्नी और बेटी उसके घर आई और उनसे उधार लिए गए पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन यह उल्लेख करने में विफल रही कि उसे शुरू में अपराध करने के लिए अपीलार्थी पर संदेह था।गर्दन पर गला घोंटने के निशान P.W.20 और P.W.12 और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्ज किए गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा तैयार किए गए पंचनामे में इसका कोई उल्लेख नहीं है।रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए विसरा के नमूने खराब हो गए थे और इसलिए उनका परीक्षण नहीं किया गया था।हालाँकि अभियुक्तों के नाखूनों के टुकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है कि मृतक का डीएनए मौजूद था।एक अन्य प्रारंभिक संदिग्ध, बाबा उर्फ अशोक कौरव जाँच के दौरान फरार हो गया, इसलिए, एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना को जन्म दिया।बेशक इन सभी कारकों का साक्ष्य की श्रृंखला के निर्माण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बरी होने के लिए उचित संदेह पैदा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।

ई.

च

जी.

एच.

311

रविशंकर @बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.]

क.

62. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एक शमन कारक के रूप में इस तरह के 'अवशिष्ट संदेह' का उपयोग प्रभावी रूप से मौत की सजा देने के लिए सबूत के मानक को बढ़ाएगा, जिसका लाभ केवल निर्दोष लोगों को ही नहीं मिलेगा।हालाँकि, एक दोषी के बरी होने बनाम एक कथित निर्दोष के जीवन की हानि के कारण समाज की लागत के बीच लागत-लाभ की तुलना करना एक गलत धारणा होगी।ऐसा इसलिए है क्योंकि मौत के विकल्प का मतलब यह नहीं है कि दोषी को रिहा कर दिया जाए।63. जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने हेरेरा बनाम.

कोलिन्स, 16 "यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है कि हमारी न्यायिक प्रणाली, इसे प्रशासित करने वाले मनुष्यों की तरह, त्रुटिपूर्ण है।" हालांकि, मौत

अपरिवर्तनीय, अभिलेख पर पूरी सामग्री की गहराई से जांच के लिए न्यायालय पर अधिक जिम्मेदारी है।इसके अलावा, गुणात्मक रूप से, मौत की सजा जेल की तुलना में दोषी और राज्य दोनों के लिए बहुत अलग है।इसलिए, सजा सुनाने के दौरान 'अवशिष्ट संदेह' पर ध्यान देकर सबूत के आवश्यक मानकों में संबंधित अंतर अनुचित नहीं होगा।64. इस प्रकार हमारा विचार है कि वर्तमान मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों से कम है जहां केवल मृत्युदंड ही अपीलार्थी को दिए जाने के योग्य है।यह हमें सभी संचयी परिस्थितियों के आलोक में प्रतीत होता है कि विशेष सजा सिद्धांत की अवधारणा को लागू करके न्याय का कारण प्रभावी ढंग से पूरा किया जाएगा।

ग

डी.

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) में विकसित किया गया था और श्रीहरण मामले (ऊपर) में अनुमोदित किया गया था।

ई.

65. उपरोक्त कारणों से, अपील को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा दी गई मृत्युदंड को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके स्थान पर इस निर्देश के साथ आजीवन कारावास लगाया जाता है कि अपीलार्थी को कोई छूट नहीं दी जाएगी और वह अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा।

च

देविका गुजराल

अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।

जी.

16 506 अमेरिका 390 (1993)

एच.